

न्यायालय रुधामऊ कलक्टर (द्वितीय) सीकर

कोशनायमण बनाम गोहनलाल

किस्म मुकदमा न. ५ मु. नं. ३२ वर्ष २०१८

दिनांक	आज्ञा-पत्र
2/11/22	पनावली परा धरी लाल आर पारुषण एक न. ५ आपदन व पारुषण बाबर मुख दुखवल के लिए विद्युत कनेक्शन दे अनुमति पर पर सुती गयी। पनावली वरने आदेश दि. 14/11/22 से परा धरी
14/11/22	पनावली वरने आदेश न. ५ आपदन व दुखवल के लिए विद्युत कनेक्शन की अनुमति हेतु परा धरी लाल आर पारुषण न. ५ आपदन स्वीकार किया जाकर अनुमति के दुखवल के लिए विद्युत कनेक्शन की अनुमति देते हुए विवादि आश्रयित ख. 192 गा. 2/10/22 वरने लाल पारुषण लाल सीकर के राजस्व विभाग के की पनावली मुख बाड के विस्तार तक वगैरे रखने हेतु पोके किया जाता है विस्तार निर्दिष्ट करण के लिए जाकर शामिल पनावली। पनावली फील आर एकर बाबर के लाल से। शामिल पारुषण निर्दिष्ट ख. 192 न. 5 आपदन के कनाक गयी।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर